

1212

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. NO. 9/2026

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ADDITIONAL RESPONSE BY RESPONDENT NO. 7, DIVISIONAL FOREST OFFICER, SHAMLI TO I.A. NO. 9/2026	
2.	A COPY OF THE DETAILED DEMARCATION REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE PROCLAMATION UNDER SECTION 6 OF THE IFA ALONG WITH ITS TYPED AND TRANSLATED TRUE COPY IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF RECORDS SHOWING THE TOTAL KHASRA NUMBER OF THE BIBIPUR JALALABAD FOREST LAND ALONG WITH ATTENDANCE	



	SHEET OF THE DEMARCATION, ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE REVENUE RECORD OF <i>KHASRA</i> NO. 135-क IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF THE REVENUE RECORD OF <i>KHASRA</i> NO.(S) 152 AND 173 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON  
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 7  
[bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com) | 6375115224

DATE: 28.01.2026  
PLACE: NOIDA



1214

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. NO. 9/2026

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

ADDITIONAL RESPONSE BY RESPONDENT NO. 7, DIVISIONAL  
FOREST OFFICER, SHAMLI TO I.A. NO. 9/2026

I, Jagdev Singh, aged about 59 years, S/o Shri Late Badri Prasad, Posted as Divisional Forest Officer, Shamli, State of U.P., do hereby most solemnly state and affirm as under:

1. That I, Jagdev Singh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

BACKGROUND OF THE MATTER:

2. That the IA No. 9/2026 has been filed by the Interveners/Impleaders in the



present Original Application to intervene in the present matter and praying that no coercive action of any nature, including but not limited to eviction, demolition, removal of residential houses, dispossession or displacement of the Applicants or their family members, be undertaken by Respondent No. 7 or any other authority with respect to the Forest Land without first affording the Applicants a full, effective and meaningful opportunity of hearing before this Hon'ble Tribunal.

3. That the Deponent has duly filed their reply dated 13.01.2026 to the IA 9/2026.
4. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 15.01.2026 has directed the Respondents that no coercive action may be taken against the present IA applicants till the next date of hearing i.e. 29.01.2026. The operative part of the order is stated below:

*"...4. List on 29.01.2026 for further hearing.*

*5. Till that date, no coercive action be taken on the basis of notices issued to the 28 intervenor Applicants who have filed IAs No. 07/2026 and 09/2026 qua their dwelling units..."*



5. That the Deponent in compliance with the directions issued by the Hon'ble

A handwritten signature in blue ink.

Tribunal has maintained *status quo* with regards to taking further action to the notices issued by the Deponent under section 61-B of the IFA, 1927.

6. That the Deponent humbly submits that the Forest Department has carried out the demarcation of the Forest Land notified under Section(s) 4 and 20 of the IFA. The exercise was carried out to identify the forest land and the encroachments upon them.

7. That subsequent to the Demarcation of the forest land of 590 *Khasra* having the total area of 541.2753 ha., **total 24.5913 ha. of encroachment has been identified by the forest department. Out of the total encroachment identified, 12.5048 ha. of encroachment, which includes both temporary (11.4402 ha. completely removed) and permanent (1.0646 ha. out of 13.1511 removed), has been removed from the forest land by the Department.**

A copy of the detailed demarcation report is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

8. That for the remaining permanent encroachment of about 12.0865 ha., the forest department has initiated further proceedings as per the Indian Forest



Act, 1927 and served the encroachers with the show cause notices under section 72(1) (b) of the IFA for the land notified under section 4 of the IFA, granting the encroachers 15 days' time as a fair opportunity to show relevant documents and cause before the Deponent. However, it is pertinent to note that no encroacher has approached the Deponent with the said relevant documents. Therefore, the Deponent in furtherance of the proceedings as per law, subsequent to granting of the ample opportunity, has issued the eviction notices under section 61-B of the IFA to the encroachers granting them 30 days' time as the fair opportunity to remove the encroachment from the forest land willfully.

**ADDITIONAL SUBMISSIONS:**

9. That it is germane to mention that the proclamation under Section 6 of the Indian Forest Act, 1927 was issued by the Forest Settlement Officer on 29.10.1990 in respect of Akbarpur Sunehati, whereas the proclamation under Section 6 in respect of Bibipur Hatiya, Ratond and Dabhedi Bujurg was issued on 06.12.1991. It is further submitted that Bibipur Jalalabad village stands notified as a Reserved Forest under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927

A copy of the proclamation under Section 6 of the IFA along with its typed and translated true copy is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2**.



*[Handwritten signature]*

10. That at the outset, it is respectfully submitted that the applicants seek to divert the scope of the proceedings from the core issue of removal of encroachment from duly notified Reserved Forest land to an impermissible inquiry into the antiquity, social composition and administrative recognition of Shivnagar Mazra, which is wholly irrelevant for adjudication before this Hon'ble Tribunal.

11. It is submitted that the present proceedings do not involve adjudication of civil title, village recognition, rehabilitation or humanitarian claims. Long-standing habitation, voter registration, Panchayat elections or implementation of welfare schemes do not and cannot dilute or override the legal effect of a final notification issued under Section 4 and 20 of the Indian Forest Act, 1927.

12. It is further submitted that Village Shivnagar is admittedly a Mazra of Gram Panchayat Bibipur Jalalabad. However, the present action is confined strictly to encroachments found upon Reserved Forest land of Village Bibipur Jalalabad, finally notified under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927. **No action whatsoever has been taken against the lawful *abadi* or revenue land of Shivnagar Mazra.**



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized cursive letter 'd'.

That a copy of the revenue records showing the total Khasra numbers of the Bibipur Jalalabad forest land, along with the attendance sheet of the demarcation, is annexed herewith and marked as ANNEXURE-3

13. **The I.A. applicants are deliberately conflating the existence of Shivnagar Mazra with unauthorized occupation of adjoining Reserved Forest land, with a view to obtain equitable protection against statutory action. Such an approach is impermissible in law, as no equity or estoppel operates against a statute enacted in public interest for forest conservation.**

14. It is submitted that while the historical existence of Shivnagar Mazra, its population, social composition, electoral participation, Panchayat recognition, or provision of civic amenities is not disputed per se, the same is wholly irrelevant to the present proceedings. The proceedings do not concern the legality, recognition, or existence of Shivnagar Mazra or its inhabitants. The sole and exclusive issue involved pertains to unauthorized occupation and encroachment upon land situated in Village Bibipur Jalalabad, which stands duly notified as Reserved Forest under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927.



15. Recognition of Shivnagar as a Mazra, inclusion in electoral rolls, conduct of

Panchayat elections, or receipt of public amenities such as electricity, water supply, telecommunication facilities or housing schemes does not and cannot legalize encroachment upon Reserved Forest land notified under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927. Voter lists, Panchayat records or welfare schemes are not documents of title and cannot override statutory forest notifications that have attained finality.

16. The notices issued under Sections 61-B(1) and 61-B(2) of the Indian Forest Act, 1927 were issued strictly in compliance with directions of the Hon'ble National Green Tribunal and pursuant to instructions of competent authorities, after joint inspection, demarcation and verification by Revenue and Forest officials. The applicants themselves have admitted that a joint team (comprising of officials of the Forest department and the revenue department) conducted site inspection and measurement on 23.09.2025. **Notices were issued only in respect of encroachments found upon Reserved Forest land and not against the lawful *abadi* of Shivnagar Mazra.**

17. That adequate opportunity was granted to submit objections. However, no document or material was produced by the applicants capable of dislodging statutory forest notifications, revenue records or the joint demarcation report.




*[Handwritten signature]*

Mere assertions unsupported by evidence cannot invalidate lawful statutory action. The attempt to portray compliance with the statutory obligations as well as judicial directions as persecution of villagers is misleading and incorrect.

18. The impugned action relates specifically to ***Khasra No. 135-क***, which stands notified as **Reserved Forest under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927**. Assertions that residences fall in other *khasra* numbers cannot override findings of lawful demarcation based on statutory records. Repeated objections were filed by the applicants or their representatives, wherein contradictory stands were taken on one hand denying residence on forest land, and on the other seeking proceedings under Section 6 of the Forest Rights Act, 2006, which applies only to persons claiming residence or forest rights over forest land. Such inconsistent stands render the claims legally untenable and devoid of bona fides.

A copy of the revenue record of *Khasra No. 135-क* is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4**.

19. **That the Forest Department has never alleged that the entire Shivnagar Mazra is Reserved Forest. The Reserved Forest pertains only to land of**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.

**Village Bibipur Jalalabad, finally notified under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927.** Survey of India maps or satellite imagery have no statutory force and cannot override forest notifications. The land vested in the State in 1952 under the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, proceedings under Section 4 of the Indian Forest Act commenced in 1955, and culminated in final notification in 1970; hence maps of earlier periods have no evidentiary relevance.

20. Existence of sale deeds, old revenue entries, traditional use, or inter-generational accumulation of resources does not establish that land is non-forest, nor can such material override statutory notifications. Once land is finally notified as Reserved Forest, all prior rights stand extinguished, and any subsequent occupation constitutes unauthorized encroachment.

21. That the *Khasra* Nos. 152 and 173 are duly recorded in the name of the Forest Department and stand notified as Reserved Forest, as per the revenue records and the notification issued under Section 20 of the IFA, 1927. Afforestation and protection activities carried out thereon are lawful.

Allegations of forcible demolition, illegal plantation, or encroachment by the Forest Department are false and contrary to official records. Admissions



*[Handwritten signature]*


regarding traditional use of such land further establish encroachment rather than negate it.

A copy of the revenue record of *Khasra* No.(s) 152 and 173 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5**.

22. Implementation of welfare or infrastructure schemes by other departments does not alter the legal status of land. No estoppel operates against statute, and administrative acts cannot dilute the effect of final forest notifications.

23. The action taken is not based on revenue demarcation under the U.P. Revenue Code, but on statutory forest notifications, revenue records and physical verification. Allegations of illegality, bias, lack of transparency or violation of natural justice are baseless. There is no requirement of joint demarcation with encroachers prior to initiating action under the Indian Forest Act.

24. The statement recorded by forest authorities that villagers claimed residence for over 20 years was made solely to identify the age of encroachments based on satellite imagery and ground verification, and not to certify the age or legality of Shivnagar Mazra. Even long habitation cannot confer rights against land notified as Reserved Forest.



*[Handwritten signature]*

25. The applicants are attempting to divert attention from the core issue of encroachment by relying on irrelevant considerations of habitation history and administrative recognition. No equitable or legal protection can be claimed against statutory action undertaken for removal of encroachment from Reserved Forest land in accordance with law.

26. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

27. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.



  
प्रभागीय वनाधिकारी  
शामली वन प्रभाग  
शामली

  
DEPONENT  
प्रभागीय वनाधिकारी  
शामली वन प्रभाग  
शामली

VERIFICATION

Verified at Shamli on this 28 day of January 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 27 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 शामली वन प्रभाग  
 शामली

  
 DEPONENT  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 शामली वन प्रभाग  
 शामली

KII/LII SIGNATURE OF DEPONENT



  
 ATTESTED  
 FARZANA NOTARY  
 R.No.-13333/17.SHAMLI

himanshu

म घोषणा करता हूँ कि, शपथ करता हूँ  
 जानता हूँ उसने इस शपथ पत्र पर  
 आज मेरे सामने आगे के सामने आगे  
 हस्ताक्षर/अंकित निश्चयनी किया है।

# Final Survey and Demarcation Report

## 1226

30/09/25

### ANNEXURE-1

ग्राम का नाम	कुल खसरा संख्या	खसरा का रकबा (हे० में)	कुल अतिक्रमण (हे०)	कुल खाली कराया गया अतिक्रमण (हे०)	अवशेष अतिक्रमण(हे०)		अभियुक्त
					धारा-4	धारा-20	
रतौद	43	52.106	2.5272	1.0472	1.48 हे० आबादी (खसरा नम्बरान-04)	-	H-2 केस् इजरा कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 0.29 हे० रास्ते( खसरा नम्बरान-02)
पावटी खुर्द	96	127.566	2.2564	2.1464	-	0.11 हे० आबादी (खसरा नम्बरान-02)	H-2 केस् इजरा कर IFA 1927 के अंतर्गत 61(b) की कार्यवाही की जा रही है। 1.339 हे० रास्ते( खसरा नम्बरान-11)
बरनावी	180	117.778	5.9560	1.4590	4.4970 हे० आबादी (खसरा नम्बरान-24)	-	H-2 केस् इजरा कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 2.451 हे० रास्ते( खसरा नम्बरान-07)
बीबीपुर हटिया	73	40.416	1.2260	0.6886	0.5374 हे० आबादी (खसरा नम्बरान-02)	-	H-2 केस् इजरा कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 0.414 हे० रास्ते( खसरा नम्बरान-06)
अकबरपुर सुनहेटी	64	35.9393	5.2005	2.9510	2.2085 हे० आबादी (खसरा नम्बरान-15) (0.0410 धार्मिक स्थल)	-	H-2 केस् इजरा कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 3.3760 हे० रास्ते( खसरा नम्बरान-11)
दमेडी बुजुर्ग	64	53.471	2.7719	2.7719	-	-	-
बीबीपुर जलालाबाद	70	113.999	4.6533	0.3761	-	4.1790 हे० आबादी (खसरा नम्बरान-16) (0.0982 धार्मिक स्थल नम्बरान-03)	H-2 केस् इजरा कर IFA 1927 के अंतर्गत 61(b) की कार्यवाही की जा रही है। 1.082 हे० रास्ते ( खसरा नम्बरान-03)
योग	590	541.2753	24.5913	11.4402	8.7639	4.3872	
महायोग	590	541.2753	24.5913	11.4402	13.1511		

ICR  
Jishalal  
RFO, Un

Ref  
राजेश कुमार  
30.09.25  
केस

T2  
टी-रिसा

↓  
RMP  
रामराम

Handwritten signature  
02/09/25

Ref  
राजेश कुमार

Sumit Kumar  
सुमित कुमार  
(सर्वेण्ड)

केपिन कुमार  
(विपिन कुमार)

Handwritten signature  
केस

S. N.	Total number of <i>khasras</i> of the forest land mentioned in OA 915/2024 & others	Total area of forest in 590 Khasra number (in ha)	Total number of <i>khasra</i> surveyed	Total encroachment found (in ha)	Total encroachment removed (in ha)	Total remaining encroachment (in ha)	Action taken by the Forest Department for removal of encroachment
1.	590  526 (Total area 505.336 hectare)  Akbarpur sunehi 64 (Total area 35.9393 hectare)	1-541.2753 hectare  (Total forest land u/s 20 of IFA in total 166 khasra is 241.565 ha)  (Total forest land u/s 4 of IFA in total 424 khasra is 299.7103 ha)	590	24.5913	12.5048  11.4402-temporary encroachment removed  1.0646-permanent encroachment removed	12.0865 (permanent encroachment)	In pursuance of the provisions of the Indian Forest Act, 1927, legal proceedings have been initiated as follows:  1. Under <b>Section 4</b> of the Indian Forest Act, 1927, total encroachment identified is approx. 8.7639 hectares. H-2 cases have been duly instituted in respect of 8.102 ha., and the requisite legal proceedings are presently underway in accordance with law. furthermore, <b>0.6619 ha of the encroachment has been removed by the forest department.</b>  2. In respect of forest land notified under <b>Section 20</b> of the Indian Forest Act, 1927, 4.3872 hectares of total encroachment has been identified by the dept. H-2 case has been duly instituted and eviction notices under Section 61B of the Indian Forest Act, 1927 have been lawfully issued against the concerned encroachers in respect of <b>3.9845 hectares of encroached forest land</b> , and consequential proceedings are being carried out strictly in accordance with the prescribed legal procedure. furthermore, <b>0.4027 ha. of forest land, encroachment has been removed.</b>

  
**प्रभागीय वनविभागीय**  
**शामली वन प्रभाग**  
**शामली**

**A COPY OF THE PROCLAMATION UNDER SECTION 6 OF THE IFA ALONG WITH  
ITS TYPED AND TRANSLATED TRUE COPY**

तहसील कैराना जनपद मुजफ्फरनगर से संबंधित ग्रामों की भारतीय वन अधिनियम की धारा 6 के घोषणा पत्र की सूची –

क्रम संख्या	ग्राम	परगना	रकबा (बी० वि० वि० )	अन्य विवरण
1	बीबीपुर हटिया	कैराना	239.08.00	
2	रतोंद	बिडौली	264 .11.00	
3	दभेड़ी बुजुर्ग	बिडौली	262.00.00	
			765-19-00	

**List of Villages pertaining to Tehsil Kairana, District Muzaffarnagar in respect of Proclamation under Section 6 of the Indian Forest Act, 1927**

Sl. No.	Village	Pargana	Area (in Bigha–Biswa–Biswansi)	Other Details
1.	Bibipur Hatiya	Kairana	239–08–00	—
2.	Ratond	Bidauli	264–11–00	—
3.	Dabhedi Buzurg	Bidauli	262–00–00	—
	<b>Total</b>		<b>765–19–00</b>	

## सूचना

वन बंदोबस्त अधिकारी

अंतर्गत धारा 6 भारतीय वन विधान 1927

इस विज्ञप्ति द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की निम्नलिखित भूमि जिसकी सीमाये तथा अन्य विवरण संलग्न सूची मे वर्णित है ,एक सुरक्षित वन बनाने का विनिश्चय किया गया है अतः उन समस्त व्यक्तियों को जो उक्त भूमि मे आने जाने पर कोई अधिकार रखते हो ।

अथवा

1-जो व्यक्ति वन की उपज अथवा उक्त वन की भूमि पर स्थित सार्वजनिक निजी जलाशय के मार्ग या उक्त जलाशय मे मवेशियों को जल पिलाने के संबंध मे हो ,इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की तिथि से तीन मास के अंदर वन बंदोबस्त अधिकारी के न्यायालय बिजनौर मे स्वयं उपस्थित होकर या लिखित प्रार्थन पत्र द्वारा उक्त भूमि अथवा उसमे उसके जो भी अधिकार हो और उक्त भूमि के हेतु मावजे का विवरण देते हुए प्रस्तुत करे । तत्पश्चात कोई आपत्ति नही सुनी जाएगी और ऐसे सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे ।

इस विज्ञप्ति द्वारा यह भी सूचना दी जाती है की उक्त वन के सुरक्षित हो जाने के अपश्चात कोई व्यक्ति –

- 1- कोई कटान जो धारा 5 के अंतर्गत निषेध कर दिया गया है ,नहीं कर सकेगा
- 2- उक्त वन मे किसी भी प्रकार की अग्नि न जल सकेगा और न ही उसे जलता हुआ छोड़ सकेगा
- 3- वन अधिकारी के स्वीकृत स्थानों के अतिरिक्त न आग जला सकेगा और न जलती हुई आग से जा सकेगा
- 4- न किसी वृक्ष के गिराने ,अथवा काटने अथवा उसे खिचने मे असावधानी के कारण किसी प्रकार की क्षति पहुंचा सकेगा ।
- 5-न स्वयं आ जा सकेगा और न मवेशी को चरा सकेगा ।
- 6- न वृक्षों पर कटिसूत्र बना सकेगा ,न डाल काट सकेगा ,न पत्ते झाड सकेगा अथवा न किसी पेड़ को आग लगा सकेगा ,अथवा छाल उतार सकेगा

# 1230

7-न खान से पत्थर निकाल सकेगा ,न चुना फूँक सकेगा ,न कोयला फूँक सकेगा और न जंगल की कोई उपज इकट्ठा कर सकेगा ,न उसे कोई ले जा सकेगा

8-न उक्त वन की खेती या किसी अन्य कार्य हेतु तोड़ सकेगा ।

9-न उक्त वन मे किसी भी नियम का जो राजकीय सरकार ने इस नियम को बनाने मे उल्लंघन करते हुए मृगया खोल सकेगा ,चला जाएगा ,न जिले चला सकेगा ,न जल को विषैला कर सकेगा और न जाल या फंदा लगा सकेगा ।

10- न उक्त वन की सीमा मे जहां गज सुरक्षा विधान 1879 लागू नहीं है किसी भी गज को किसी भी नियम का उल्लंघन करते हुए मार सकेगा ,न पकड़ सकेगा और यदि ऐसा करेगा तो 6 मास का कारवास तथा 500 रुपये की सीमा तक अर्थ दंड अथवा दोनों दंडों का भागी होगा ,जो उसके कार्य से वन को पहुंची हो और न्यायालय द्वारा निश्चित की गई हो ।

भारतीय वन अधिनियम की धारा 6 घोषणा पत्र ग्राम बी0 बी0 हटिया ,परगना व तहसील कैराना जनपद मुजफ्फरनगर

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (बीघा -बिसवा -बिसमांशी )
1/2	11-15-0
6/1	5-06-0
245/1	20-01-0
248/1	16-05-0
273/2	12-10-0
272/1	14-00-00
277/3	8-16-0
278	16-12-0
283/11	15-15-0
284/3	13-13-0
284/4	11-03-0
286/2	13-06-0
313/1	09-14-0
330/1	8-14-0
436/2	06-14-0

# 1231

522	13-07-0
523/4	11-05-0
525/1	16-01-0
626	13-08-0
683	1-02-0
कुल 20 खेत	239-08-0

## NOTICE

### Forest Settlement Officer

#### Under Section 6 of the Indian Forest Act, 1927

By this notification, the general public is informed that it has been decided to constitute the land described in the annexed list, along with its boundaries and other particulars, as a **Reserved Forest**. Therefore, all persons who claim any rights in or over the said land are hereby informed.

### OR

1. Any person who claims any right relating to forest produce, or to a pathway to any public or private water reservoir situated on the said forest land, or relating to watering of cattle at such reservoir, shall, within **three months from the date of publication of this notification**, appear in person before the Court of the Forest Settlement Officer at **Bijnor**, or submit a written application stating the land or the rights claimed therein and the details of compensation claimed in respect of such land.

Thereafter, **no objection shall be entertained**, and **all such rights shall stand extinguished**.

By this notification, it is further informed that **after the said forest becomes reserved**, no person shall:

1. Carry out any cutting which has been prohibited under **Section 5**.
2. Kindle any fire in the said forest or leave any fire burning therein.
3. Kindle a fire or pass through a burning fire at any place other than those approved by the Forest Officer.
4. Cause any damage due to negligence while felling, cutting, or dragging any tree.
5. Enter the forest himself or allow cattle to graze therein.
6. Make girdling marks on trees, cut branches, strip leaves, set fire to any tree, or strip off bark.
7. Extract stones from quarries, burn lime, burn charcoal, collect any forest produce, or carry away any such produce.
8. Clear or break up the said forest land for cultivation or for any other purpose.
9. Open hunting operations, move about, drive animals, poison water, or set traps or snares in the said forest in contravention of any rules framed by the State Government.
10. Kill or capture any elephant within the limits of the said forest, where the Elephant Preservation Act, 1879 is not in force, in violation of any rule; and if any person does so, he shall be liable to **imprisonment up to six months or a fine up to five hundred rupees, or both**, and shall further be liable for compensation for damage caused to the forest as determined by the Court.

**Details of Khasra Numbers Covered under the Proclamation Issued under Section 6 of the Indian Forest Act, 1927**

**Village:** Bibipur Hatiya  
**Pargana & Tehsil:** Kairana  
**District:** Muzaffarnagar

1233

<b>Khasra No.</b>	<b>Area (in Bigha–Biswa– Biswansi)</b>
1/2	11–15–00
6/1	05–06–00
245/1	20–01–00
248/1	16–05–00
273/2	12–10–00
272/1	14–00–00
277/3	08–16–00
278	16–12–00
283/11	15–15–00
284/3	13–13–00
284/4	11–03–00
286/2	13–06–00
313/1	09–14–00
330/1	08–14–00
436/2	06–14–00
522	13–07–00
523/4	11–05–00
525/1	16–01–00
626	13–08–00
683	01–02–00
<b>Total (20 Khasra Numbers)</b>	<b>239–08–00</b>

## सूचना

### वन बंदोबस्त अधिकारी

#### अंतर्गत धारा 6 भारतीय वन विधान 1927

इस विज्ञप्ति द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की निम्नलिखित भूमि जिसकी सीमाये तथा अन्य विवरण संलग्न सूची मे वर्णित है ,एक सुरक्षित वन बनाने का विनिश्चय किया गया है अतः उन समस्त व्यक्तियों को जो उक्त भूमि मे आने जाने पर कोई अधिकार रखते हो ।

अथवा

1-जो व्यक्ति वन की उपज अथवा उक्त वन की भूमि पर स्थित सार्वजनिक निजी जलाशय के मार्ग या उक्त जलाशय मे मवेशियों को जल पिलाने के संबंध मे हो ,इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की तिथि से तीन मास के अंदर वन बंदोबस्त अधिकारी के न्यायालय बिजनौर मे स्वयं उपस्थित होकर या लिखित प्रार्थन पत्र द्वारा उक्त भूमि अथवा उसमे उसके जो भी अधिकार हो और उक्त भूमि के हेतु मावजे का विवरण देते हुए प्रस्तुत करे । तत्पश्चात कोई आपत्ति नही सुनी जाएगी और ऐसे सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे ।

इस विज्ञप्ति द्वारा यह भी सूचना दी जाती है की उक्त वन के सुरक्षित हो जाने के अपश्चात कोई व्यक्ति –

- 1- कोई कटान जो धारा 5 के अंतर्गत निषेध कर दिया गया है ,नहीं कर सकेगा
- 2- उक्त वन मे किसी भी प्रकार की अग्नि न जल सकेगा और न ही उसे जलता हुआ छोड़ सकेगा
- 3- वन अधिकारी के स्वीकृत स्थानों के अतिरिक्त न आग जला सकेगा और न जलती हुई आग से जा सकेगा
- 4- न किसी वृक्ष के गिराने ,अथवा काटने अथवा उसे खिचने मे असावधानी के कारण किसी प्रकार की क्षति पहुचा सकेगा ।
- 5-न स्वयं आ जा सकेगा और न मवेशी को चरा सकेगा ।
- 6- न वृक्षों पर कटिसूत्र बना सकेगा ,न डाल काट सकेगा ,न पत्ते झाड सकेगा अथवा न किसी पेड़ को आग लगा सकेगा ,अथवा छाल उतार सकेगा
- 7-न खान से पत्थर निकाल सकेगा ,न चुना फूँक सकेगा ,न कोयला फूँक सकेगा और न जंगल की कोई उपज इकट्ठा कर सकेगा ,न उसे कोई ले जा सकेगा

# 1235

8-न उक्त वन की खेती या किसी अन्य कार्य हेतु तोड़ सकेगा ।

9-न उक्त वन मे किसी भी नियम का जो राजकीय सरकार ने इस नियम को बनाने मे उल्लंघन करते हुए मृगया खोल सकेगा ,चला जाएगा ,न जिले चला सकेगा ,न जल को विषैला कर सकेगा और न जाल या फंदा लगा सकेगा ।

10- न उक्त वन की सीमा मे जहां गज सुरक्षा विधान 1879 लागू नहीं है किसी भी गज को किसी भी नियम का उल्लंघन करते हुए मार सकेगा ,न पकड़ सकेगा और यदि ऐसा करेगा तो 6 मास का कारवास तथा 500 रुपये की सीमा तक अर्थ दंड अथवा दोनों दंडों का भागी होगा ,जो उसके कार्य से वन को पहुंची हो और न्यायालय द्वारा निश्चित की गई हो ।

भारतीय वन अधिनियम की धारा 6 घोषणा पत्र ग्राम रिटोन परगना बिडौली व तहसील कैराना जनपद मुजफ्फरनगर

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (बीघा -बिसवा -बिसमांशी )
1मि	2-11-0
5 मि	13-6-0
7 मि	16-02-0
8 मि	16-10 -0
10 मि	15-19-0
12 मि	26-00-00
20	24-00-0
21 मि	21 -00-0
22 मि	13-10-0
25 मि	13-05-0
85 मि	14-19-0
83	16-01-0
288	18-16-0
293 मि	17-02-0
654 मि	18-19-0
295	12-02-0
कुल 16 स्रोत	264.11-0

## NOTICE

**Forest Settlement Officer**

### **Under Section 6 of the Indian Forest Act, 1927**

By this notification, the general public is informed that it has been decided to constitute the land described in the annexed list, along with its boundaries and other particulars, as a **Reserved Forest**. Therefore, all persons who claim any rights in or over the said land are hereby informed.

### **OR**

**1.** Any person who claims any right relating to forest produce, or to a pathway to any public or private water reservoir situated on the said forest land, or relating to watering of cattle at such reservoir, shall, within **three months from the date of publication of this notification**, appear in person before the Court of the Forest Settlement Officer at **Bijnor**, or submit a written application stating the land or the rights claimed therein and the details of compensation claimed in respect of such land.

Thereafter, **no objection shall be entertained, and all such rights shall stand extinguished.**

By this notification, it is further informed that **after the said forest becomes reserved**, no person shall:

- 1.** Carry out any cutting which has been prohibited under **Section 5**.
- 2.** Kindle any fire in the said forest or leave any fire burning therein.
- 3.** Kindle a fire or pass through a burning fire at any place other than those approved by the Forest Officer.
- 4.** Cause any damage due to negligence while felling, cutting, or dragging any tree.
- 5.** Enter the forest himself or allow cattle to graze therein.

6. Make girdling marks on trees, cut branches, strip leaves, set fire to any tree, or strip off bark.
7. Extract stones from quarries, burn lime, burn charcoal, collect any forest produce, or carry away any such produce.
8. Clear or break up the said forest land for cultivation or for any other purpose.
9. Open hunting operations, move about, drive animals, poison water, or set traps or snares in the said forest in contravention of any rules framed by the State Government.
10. Kill or capture any elephant within the limits of the said forest, where the Elephant Preservation Act, 1879 is not in force, in violation of any rule; and if any person does so, he shall be liable to **imprisonment up to six months or a fine up to five hundred rupees, or both**, and shall further be liable for compensation for damage caused to the forest as determined by the Court.

**Details of Khasra Numbers Covered under the Proclamation  
Issued under Section 6 of the Indian Forest Act, 1927**

**Village:** Ratond  
**Pargana:** Bidauli  
**Tehsil:** Kairana  
**District:** Muzaffarnagar

<b>Khasra No.</b>	<b>Area (in Bigha–Biswa–Biswansi)</b>
1 (Min.)	02–11–00
5 (Min.)	13–06–00
7 (Min.)	16–02–00
8 (Min.)	16–10–00
10 (Min.)	15–19–00
12 (Min.)	26–00–00
20	24–00–00
21 (Min.)	21–00–00
22 (Min.)	13–10–00

# 1238

<b>Khasra No.</b>	<b>Area (in Bigha–Biswa–Biswansi)</b>
25 (Min.)	13–05–00
85 (Min.)	14–19–00
83	16–01–00
288	18–16–00
293 (Min.)	17–02–00
654 (Min.)	18–19–00
295	12–02–00
<b>Total (16 Khasra Numbers)</b>	<b>264–11–00</b>

## सूचना

वन बंदोबस्त अधिकारी

अंतर्गत धारा 6 भारतीय वन विधान 1927

इस विज्ञप्ति द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की निम्नलिखित भूमि जिसकी सीमाये तथा अन्य विवरण संलग्न सूची मे वर्णित है ,एक सुरक्षित वन बनाने का विनिश्चय किया गया है अतः उन समस्त व्यक्तियों को जो उक्त भूमि मे आने जाने पर कोई अधिकार रखते हो ।

अथवा

1-जो व्यक्ति वन की उपज अथवा उक्त वन की भूमि पर स्थित सार्वजनिक निजी जलाशय के मार्ग या उक्त जलाशय मे मवेशियों को जल पिलाने के संबंध मे हो ,इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की तिथि से तीन मास के अंदर वन बंदोबस्त अधिकारी के न्यायालय बिजनौर मे स्वयं उपस्थित होकर या लिखित प्रार्थन पत्र द्वारा उक्त भूमि अथवा उसमे उसके जो भी अधिकार हो और उक्त भूमि के हेतु मावजे का विवरण देते हुए प्रस्तुत करे । तत्पश्चात कोई आपत्ति नही सुनी जाएगी और ऐसे सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे ।

इस विज्ञप्ति द्वारा यह भी सूचना दी जाती है की उक्त वन के सुरक्षित हो जाने के अपश्चात कोई व्यक्ति –

- 1- कोई कटान जो धारा 5 के अंतर्गत निषेध कर दिया गया है ,नहीं कर सकेगा
- 2- उक्त वन मे किसी भी प्रकार की अग्नि न जल सकेगा और न ही उसे जलता हुआ छोड़ सकेगा
- 3- वन अधिकारी के स्वीकृत स्थानों के अतिरिक्त न आग जला सकेगा और न जलती हुई आग से जा सकेगा
- 4- न किसी वृक्ष के गिराने ,अथवा काटने अथवा उसे खिचने मे असावधानी के कारण किसी प्रकार की क्षति पहुचा सकेगा ।
- 5-न स्वयं आ जा सकेगा और न मवेशी को चरा सकेगा ।
- 6- न वृक्षों पर कटिसूत्र बना सकेगा ,न डाल काट सकेगा ,न पत्ते झाड सकेगा अथवा न किसी पेड़ को आग लगा सकेगा ,अथवा छाल उतार सकेगा
- 7-न खान से पत्थर निकाल सकेगा ,न चुना फूँक सकेगा ,न कोयला फूँक सकेगा और न जंगल की कोई उपज इकट्ठा कर सकेगा ,न उसे कोई ले जा सकेगा
- 8-न उक्त वन की खेती या किसी अन्य कार्य हेतु तोड़ सकेगा ।

# 1240

9-न उक्त वन मे किसी भी नियम का जो राजकीय सरकार ने इस नियम को बनाने मे उल्लंघन करते हुए मृगया खोल सकेगा ,चला जाएगा ,न जिले चला सकेगा ,न जल को विषैला कर सकेगा और न जाल या फंदा लगा सकेगा ।

10- न उक्त वन की सीमा मे जहां गज सुरक्षा विधान 1879 लागू नहीं है किसी भी गज को किसी भी नियम का उल्लंघन करते हुए मार सकेगा ,न पकड़ सकेगा और यदि ऐसा करेगा तो 6 मास का कारवास तथा 500 रुपये की सीमा तक अर्थ दंड अथवा दोनों दंडों का भागी होगा ,जो उसके कार्य से वन को पहुंची हो और न्यायालय द्वारा निश्चित की गई हो ।

भारतीय वन अधिनियम की धारा 6 घोषणा पत्र ग्राम अकबरपुर सुनेहटी परगना व तहसील कैराना जनपद मुजफ्फरनगर

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (बीघा -बिसवा -बिसमांशी )
1 क	1-14 -00
4	4-00-00
35	4-03-00
41	2-16-0
43	01-07-0
44 ख	04-01-15
53	2-14-0
54	04-06-01
56	0-19-0
57	4-12-0
61 ख	02-02-0
68 ख	3-00-00
78 ख	02-15-00
82	0-3-18
84 क	07-07-0
90	02-13-0
110	1-05-0
111	06-17-0

# 1241

119	0-02-0
120	0-10-0
134	01-03-00
140	4-02-0
144	11-07-0
149	0-19-0
150	3-00-0
152	0-11-0
153	7-09-7
156	2-01-0
158	01-09-0
159	0-09-0
160 ख	03-01-0
161 ख	0-04-0
166	3-18-0
167	12-11-00
168	2-0-0
169	2-11-0
170 क	2-14-0
186	0-7-0
187 ख	20-13-0
188	1-06-0
189क	2-00-00
197	1-05-0
201 क	0-4-0
202	0-04-0
208 ख	0-08-0
214	2-02-0
215	15-15-0
218	0-10-0
220	0-02-0
221	10-05-0

223	0-06-0
225	0-25-00
227	0-10-10
228	0-12-0
232	5-04-06
242 ख	5-00-0
294	0-11-0
295	1-10-0
296	4-00-00
299 क	0-08-0
302 क	2-03-0
419	5-18-08
540	4-07-0
योग 64 खेत	187-17-5 या 105-00 एकड़

**Details of Khasra Numbers Covered under the Proclamation Issued under Section 6 of the Indian Forest Act, 1927**

**Village:** Akbarpur Sunehati

**Pargana & Tehsil:** Kairana

**District:** Muzaffarnagar

<b>Khasra No.</b>	<b>Area (in Bigha–Biswa–Biswansi)</b>
1 (Ka)	01–14–00
4	04–00–00
35	04–03–00
41	02–16–00
43	01–07–00
44 (Kha)	04–01–15
53	02–14–00
54	04–06–01
56	00–19–00
57	04–12–00
61 (Kha)	02–02–00
68 (Kha)	03–00–00
78 (Kha)	02–15–00

# 1243

<b>Khasra No.</b>	<b>Area (in Bigha–Biswa–Biswansi)</b>
82	00–03–18
84 (Ka)	07–07–00
90	02–13–00
110	01–05–00
111	06–17–00
119	00–02–00
120	01–03–00
134	00–10–00
140	04–02–00
144	11–07–00
149	00–19–00
150	03–00–00
152	00–11–00
153	07–09–07
156	02–01–00
158	01–09–00
159	00–09–00
160 (Kha)	03–01–00
161 (Kha)	00–04–00
166	03–18–00
167	12–11–00
168	02–00–00
169	02–11–00
170 (Ka)	02–14–00
186	00–07–00
187 (Kha)	20–13–00
188	01–06–00
189 (Ka)	02–00–00
197	01–05–00
201 (Ka)	00–04–00
202	00–04–00
208 (Kha)	00–08–00
214	02–02–00
215	15–15–00
218	00–10–00
220	00–02–00
221	10–05–00
223	00–06–00
225	00–25–00
227	00–10–10

# 1244

<b>Khasra No.</b>	<b>Area (in Bigha–Biswa–Biswansi)</b>
228	00–12–00
232	05–04–06
242 (Kha)	05–00–00
294	00–11–00
295	01–10–00
296	04–00–00
299 (Ka)	00–08–00
302 (Ka)	02–03–00
419	05–18–08
540	04–07–00
<b>Total (64 Khasra Numbers)</b>	<b>187–17–05</b>
<b>Equivalent Area</b>	<b>Approximately 105.00 Acre</b>



वन बन्दोबस्त अधिकारी

अन्तर्गत धारा 9 भारतीय वन अधिनियम विधान 1927

इस विज्ञप्ति द्वारा सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि जिसकी सीमाएँ तथा अन्य विवरण सलग्न सूची में वर्णित हैं, एक "सुरक्षित वन" बनाने का निश्चय किया गया है अतः उन सभ्य व्यक्तियों को जो उक्त भूमि में अपना उस पर कोई अधिकार रखते हैं।

आवा

जो व्यक्ति वन की उपज आवा उक्त वन की भूमि पर स्थित सार्वजनिक निजी जलाशय के मार्ग या उक्त जलाशय में मवेशियों को जल पिलाने के सम्बन्ध में हों, इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की तिथि से निम्न-मास-के-अन्दर- तीन मास के अन्दर वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय बिजनौर में स्वयं उपस्थित होकर या लिखित प्रार्थना पत्र द्वारा उक्त भूमि आवा उसमें उसके जो भी अधिकार हों और उक्त भूमि के हेतु मावजे का विवरण देते हुए प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् कोई आपत्ति नहीं चुनी जावेगी और ऐसे सभी अधिकार समाप्त हो जायेंगे और सरकार में विलीन हो जायेंगे।

इस विज्ञप्ति द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि उक्त वन के "सुरक्षित" सुरक्षित हो जाने के पश्चात् कोई व्यक्ति :-

- १. कोई कटान जो धारा 5 के अन्तर्गत निषेध कर दिया गया है, नहीं कर सकेगा।
- २. उक्त वन में किसी प्रकार की अग्नि न जला सकेगी और न उसे जलता हुआ छोड़ जायेंगे।
- ३. वन अधिकारी द्वारा स्वीकृत स्थानों के अतिरिक्त न आग जला सकेगा और न जलती हुई आग से जा सकेगा।
- ४. न किसी वृक्ष के गिराने, आवा काटने आवा उसे हटाने में अनावधानी के कारण किसी प्रकार से क्षति पहुँच सकेगी।
- ५. न स्वयं आ जा सकेगा और न मवेशियों को चरा सकेगा।
- ६. न वृक्षों पर कटिघ्न बना सकेगा, न डाला काट सकेगा, न पत्ते झाड़ सकेगा आवा न किसी पेड़ की आग लगा सकेगा आवा छाल उतार सकेगा।
- ७. न छान से पत्थर निकाल सकेगा, न चूना फेंक सकेगा, न कोयला फेंक सकेगा और जंगल की कोई उपज फेंक सकेगा इकट्ठा कर सकेगा, न उसे कोई लेजा सकेगा।
- ८. न उक्त वन की छोती या किसी अन्य कार्य के हेतु तोड़ सकेगा।
- ९. न उक्त वन में किसी भी उपज का निष्पन्न का जो राजकीय सरकार ने इस निष्पन्न को बनाया हो उत्खनन करते हुए मृगया खोल सकेगा, खला जायेंगे, न गोला चला सकेगा, न जल को विषोला कर सकेगा और न जाल या फन्दे लगा सकेगा।
- १०. न उक्त वन की सीमा में जहाँ "गज सुरक्षा विधान 1879" लागू नहीं है, किसी भी गज को किसी भी निष्पन्न का उत्खनन करते हुए, मार सकेगा, न पकड़ सकेगा और यदि ऐसा करेगा तो 6 मास का कारावास तथा 500/- रुपये की सीमा तक अर्ध दण्ड आवा दोनों दण्डों का भागी होगा और इसके अतिरिक्त उस क्षति-पूर्ति का भी भागी होगा जो उसके कार्य से वन को पहुँची हो और न्यायालय द्वारा निश्चित की गयी हो।

1246

जय कीर्ति सिंह जी  
वन बन्दोबस्त अधिकारी  
बिजनौर

1247  
राजस्थान का अधिपति द्वारा 6 का घोषणा पत्र  
गणेश गीष्ठी, हटिया, परगना व तहसील केराना जम्माद मुजरा नगर

घाटा नम्बर	क्षेत्रफल बि० बि० बि०
1/2	11-15-0
6/1	5-06-0
245/1	20-01-0
248/1	16-05-0
273/2	12-10-0
272/1	14-06-0
277/3	8-16-0
278	16-12-0
283/1	15-15-0
284/3	13-13-0
284/4	11-03-0
286/2	13-06-0
313-1	9-14-0
330/1	8-14-0
436/2	6-14-0
522	13-07-0
523/4	11-05-0
525/1	16-01-0
626	13-08-0
683	1-02-0
कुल 20 छेत	239-08-0

11/10/19



1249

(9)

(11)

भारतीय वन विभाग की धारा 6 के अन्तर्गत घोषणा पत्र  
ग्राम रिटोन, परगना डिंडीली, तालुका केराना, जम्शदपुर

गाटा संख्या	क्षेत्रफल बीघे/बिघे
1 बिघे	2-11-0
5 बिघे	13-06-0
7 बिघे	16-02-0
8 बिघे	16-10-0
10 बिघे	13-19-0
12 बिघे	26-00-0
20	24-00-0
21 बिघे	21-00-0 2-05-0
22 बिघे	13-10-0
25 बिघे	13-05-0
81 85 बिघे	14-19-0
8 3	16-01-0
288	18-15-0
293 बिघे	17-02-0
654 बिघे	18-19-0
295	12-02-0

कुल 16 बीघे 264-11-0

21/2 260.2

प.ब.  
वन बन्दोबस्त अधिकारी,  
दिन्डोरा

NOT- 267-02 बीघा होना चाहिए।

उत्तरांत धारा 6 भा राष्ट्रीय वन अधिनियम 1927

एक विज्ञापित द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि जिसकी सीमायें तथा अन्य विवरण पृष्ठ 2 वृत्ति में दर्शाये हैं "आरक्षित वन" बनाने का निश्चय किया गया है। अतः उन समस्त व्यक्तियों जो जो उक्त भूमि में अपना उस पर कोई अधिकार रखते हैं।

अधवा

1. जो व्यक्ति वन की उपज अधवा इस भूमि पर स्थित सार्वजनिक निजी जलाशय के मार्ग या उक्त जलाशय में मवेशियों को जल पिलाने के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति इस विज्ञापित में प्रकाशित होने की तिथि से तीन मास के अन्दर वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में स्थित बिजनौर में स्वयं उपस्थित होकर या लिखित प्रार्थना पत्र द्वारा उक्त भूमि अधवा उक्त जो भी अधिकार ही और उक्त भूमि हेतु मार्ग का विवरण देते हुए प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् कोई आपत्ति नहीं सुनी जायेगी और ऐसे सभी अधिकार स्वीकृत हो जायें और सरकार में प्रिलीमिनरी हो जायेंगे।

इस विज्ञापित द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि उक्त अधवा में "आरक्षित घोषित हो जाने के पश्चात् कोई व्यक्ति

- अ) कोई धातना धारा 5 के अन्तर्गत-सिद्धोद्य कर दिया गया है, नहीं कर सके
- ब) उक्त वन में किसी प्रकार की अग्नि-जला सहेगा और न उं जलता हुआ छोड़ा जायेगा।
- स) वन अधिनियम द्वारा स्वीकृत स्थानों के अतिरिक्त न अग जला सहेगा और न जलती हुई आग से जा सकेगा।
- द) न स्वयं आ सकेगा और न मवेशियों को चरा सकेगा।
- र) न किसी वृक्षा के गिरने अधवा काटने अधवा उसे छुट्टी में असावधानी के कारण किसी प्रकार से क्षति पहुंचा सकेगा।
- इ) न वृक्षों पर कोई कट सूत्र बना सकेगा, न डाला कट सकेगा, न पत्ते सहेगा अधवा न किसी पेड़ को आग लगा सकेगा अधवा शाल उतार सकेगा।
- ज) न खान-सके पत्थर निकाल सकेगा, न कोयला पक सकेगा, न जमल चुना पक सकेगा, न जंगल की कोई उपज इकट्ठा कर सकेगा, न ले जा सकेगा।
- झ) न उक्त वन को छोटी या किसी अन्य कार्य हेतु सौड़ सकेगा।
- प) न उक्त वन में किसी भी नियम का जो राजकीय सरकार ने इस नियम का बनाया हो उलटान करते हुए मगया खोल सकेगा, न गोली चला सकेगा, न उ को विधौला कर सकेगा और न जाल या पन्दा लगा सकेगा।
- फ) न उक्त की सीमा में जहाँ गज सुरक्षा विधान 1875 लागू नहीं है किसी व्यक्ति को किसी भी नियम का उलटान करते हुए, शर सकेगा, न पकड़ सकेगा

और यदि ऐसा करेगा तो 6 मास का कारावास तथा 500/- साये की सीमा तक अर्ध दण्ड अधवा दोनों दण्डों का भागी होगा और इसके अतिरिक्त उस क्षति पूर्ति का भी भागी होगा जो इसके कार्य से वन को पहुंची और न्यायालय द्वारा निश्चित की गयी हो।

420 6

सूची :-

जिला मजसूरनगर तहसील कैराना, परगना कैराना ग्राम अक्बरपुर खेटी

खसरा नं०	दीर्घा	खसरा नं०	दीर्घा
1क	1-14-00	167	12-11-00
4क	4-00-00	168	2-00-00
35	4-03-00	169	2-11-00
41	2-18-00	170क	2-14-00
43	1-07-00	186	0-07-00
44क	4-01-15	187	20-13-00
53	2-14-00	188	1-06-00
54	4-06-01	189	2-00-00
56	0-19-00	197	1-06-00
57	4-12-00	201क	0-08-00
61क	2-02-00	202	0-04-00
68क	3-00-00	208क	0-08-00
78	2-15-00	214	2-02-00
82	0-18-00	215	15-13-00
84क	0-07-00	218	0-10-00
90	2-13-00	220	0-02-00
105	0-09-00	221	0-05-00
110	1-05-00	223	0-06-00
111	6-17-00	225	0-05-00
119	0-02-00	227	11-13-00
120	0-19-00	228	0-12-00
134	1-03-00	232	5-04-06
140	4-02-00	242क	5-00-00
144	11-07-00	294	0-11-00
149	0-19-00	295	11-10-00
150	3-00-00	296	4-08-00
152	0-11-00	299	0-08-00
153	7-09-00	302	2-03-00
156	2-01-00	419	5-18-08
159	0-09-00	540	4-07-00
160क	3-01-00		
161क	0-04-00		
166	3-18-00		

योग:- 64 खेती 187-17-5

105-00 एकड़

20-10-00

उपाख्यति-पत्र

आज दिनांक 31/01/2025 को ग्राम वीलीपुर जलालाबाद व  
शौन्द परगना - डिंडिया तहसील - कैरजा जनपद गामली  
में राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम  
द्वारा ग्राम- शौन्द में वन विभाग भूमि के उत्तरा नंबर

490म व 479 नया धाक वीलीपुर जलालाबाद के  
0.6970 3.1860  
खसरा नम्बरान 150, 154, 155, 162 अ  
0.4610, 2.8990, 1.9460, 0.7680  
की सीमाओं व  
163, 520, 521, 128  
3.5860, 1.8850, 1.8850, 1.28  
सीमांकन कर सीमाओं से वन विभाग के फील्ड

स्टाफ को भली भांती अवगत करा दिया गया है।  
कोष पर उपस्थित संयुक्त टीम के हस्ताक्षर निम्नवत्  
हैं।

वन विभाग टीम के हस्ताक्षर

राजस्व टीम हस्ताक्षर

सुमित कर्ना  
(सर्वेयर)  
31/01/2025  
31/01/25  
(जोगेंद्र कुमार)  
च.द.

31/01/2025  
(लेखपाल)

SKumar  
(सुनील कुमार)  
च.द.  
31/01/25  
Sandeep  
सहीपत  
च.द.  
31/1/2025

31/01/2025  
R.M.  
31/01/25

उपरोक्त 1253

आज दिनांक 25/10/2024 को ग्राम- बीबीपुर जलालाबाद  
परगना- झीझाना, तहसील- कुँराना, जिला- शामली में उपस्थित  
राजस्व टीम एवं वन विभाग की व्युक्त टीम द्वारा वन विभाग  
की भूमि खसरा नम्बर -  $\frac{1}{8.144}$ ,  $\frac{4}{2.766}$ ,  $\frac{5}{0.5120}$ ,  $\frac{6}{0.9320}$ ,  $\frac{10}{0.2050}$ ,  $\frac{11}{0.840}$

$\frac{1323}{1.281}$ ,  $\frac{14}{17.486}$ ,  $\frac{15}{3.6670}$ ,  $\frac{2523}{0.7480}$ ,  $\frac{26}{2.4790}$ ,  $\frac{50}{0.1020}$ ,  $\frac{5223}{1.9770}$ ,

$\frac{63}{0.6760}$ ,  $\frac{72}{0.0410}$ ,  $\frac{73}{0.6970}$ ,  $\frac{74}{4.3020}$ ,  $\frac{75}{5.040}$ ,  $\frac{76}{0.1840}$ ,  $\frac{77}{0.3670}$ ,  $\frac{78}{0.1020}$ ,

$\frac{79}{3.9750}$ ,  $\frac{80}{4.8660}$ ,  $\frac{81}{2.5920}$ ,  $\frac{82}{2.2360}$  की सीमाओं का सीमांकन कर

सीमाओं से वन विभाग के फील्ड स्टाफ को भली भाँती अवगत  
करा दिया गया है। उपरोक्त खसरा नम्बरान में आतिक्रमित  
वन भूमि से फील्ड स्टाफ को अवगत करा दिया गया है।  
भौके पर उपस्थित व्युक्त टीम के हस्ताक्षर निम्नवत हैं।

वन विभाग टीम के हस्ताक्षर

राजस्व विभाग टीम हस्ताक्षर

Abhayendu  
25/10/24  
(विजेन्द्र सिंह)  
सर्वेयर

(जोगिन्द्र कुमार)  
वन विभाग

25/10/2024  
लेखपाल  
बीबीपुर जलालाबाद

सत्येंद्र सिंह  
वन विभाग

सत्येंद्र सिंह  
वन विभाग

आज दिनांक - 23/09/2025 को काम बीबीपुर जवालाबाद में मां न्यायालय सन. नी. टी. में दायर वाद संख्या

आं. सं. 915/2024 के काम में संयुक्त पैमाना हेतु राजस्व व वन विभाग की टीम मौके पर उपस्थित हुई। संयुक्त टीम ने खसरा संख्या

- $\left(\frac{134}{0.246000}\right)$ ,  $\left(\frac{135क}{0.010000}\right)$ ,  $\left(\frac{136}{0.1840}\right)$ ,  $\left(\frac{138}{0.5330}\right)$ ,  $\left(\frac{139}{0.154000}\right)$
- $\left(\frac{140क}{0.031000}\right)$ ,  $\left(\frac{142क}{1.250000}\right)$ ,  $\left(\frac{143}{0.1230}\right)$ ,  $\left(\frac{144}{0.686000}\right)$ ,
- $\left(\frac{127}{0.7070}\right)$  का सर्वे सीमांकन कर निशानदेही

की गयी। उपस्थित राजस्व व वन विभाग की टीम के हस्ताक्षर निम्न प्रकार हैं। फिक्स स्टाफ की सीमा से अवगत कर दिया गया है। फिक्स स्टाफ की वन विभाग

राजस्व विभाग

Sumit Kumar  
सुमित कुमार  
(सर्वेयर)

अवध शर्मा  
शेखीय न्यायालय  
23/09/2025

Sandeep Kumar  
संदीप कुमार  
वन विभाग  
(जॉर्जल कुमार)  
वन विभाग

1255  
उपस्थिति - पत्र

आज दिनांक 07/07/2025 को ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग व वन विभाग की टीम ने खसरा संख्या -  $\left(\frac{8 \text{ है.}}{3-1450}\right)$ ,  $\left(\frac{152 \text{ है.}}{2-4590}\right)$  व  $\left(\frac{153 \text{ है.}}{4-3020}\right)$

का सीमांकन व चिह्नंकन कर सर्वे किया गया। उपस्थित राजस्व विभाग व वन विभाग के हस्ताक्षर निम्न प्रकार हैं।

वन विभाग

Sumit Kumar  
सुमित कुमार  
(सर्वेयर)

Sandeep Kumar  
संदीप कुमार  
वन अधिकारी

  
ज्योति कुमार  
ज.इ.

राजस्व विभाग

  
07/07/2025  
बीबीपुर जलालाबाद

  
राजस्व  
अधिकारी

1256  
उपरिष्ठापित पत्र

मा० न्यायालय सनः जी० टी० में वायर वाद से संबंधित  
 ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में स्थित आरक्षित धारा-20  
 वन की संयुक्त पैमानिश। सीमांकन कराने हेतु आज  
 दिनांक - 29/08/2025 को राजस्व विभाग व वन विभाग  
 की संयुक्त टीम मॉर्के पर उपस्थित इस संयुक्त टीम  
 द्वारा ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में स्थित आरक्षित  
 धारा-20 वन भूमि के खसरा सं-

- धार्मिक स्थल,  $\left(\frac{127 \text{ हे०}}{0.7070}\right)$  व  $\left(\frac{176 \text{ हे०}}{0.2050}\right)$  में रास्ता,  $\left(\frac{125 \text{ हे०}}{0.2050}\right)$   
 $\left(\frac{133 \text{ हे०}}{0.8190}\right)$ ,  $\left(\frac{134 \text{ हे०}}{0.2460}\right)$ ,  $\left(\frac{126 \text{ हे०}}{0.7070}\right)$ ,  $\left(\frac{135 \text{ क०}}{0.0100}\right)$ ,  $\left(\frac{132 \text{ हे०}}{0.5840}\right)$   
 $\left(\frac{137 \text{ हे०}}{0.0920}\right)$ ,  $\left(\frac{138 \text{ हे०}}{0.5330}\right)$ ,  $\left(\frac{139 \text{ हे०}}{0.1540}\right)$ ,  $\left(\frac{140 \text{ क० हे०}}{0.0310}\right)$   
 $\left(\frac{142 \text{ क० हे०}}{1.2500}\right)$ ,  $\left(\frac{143 \text{ हे०}}{0.1230}\right)$ ,  $\left(\frac{145 \text{ हे०}}{0.2770}\right)$ ,  $\left(\frac{148 \text{ हे०}}{0.1640}\right)$ ,  
 $\left(\frac{173 \text{ हे०}}{1.5880}\right)$ ,  $\left(\frac{144 \text{ हे०}}{0.6860}\right)$  के आवादी नम्बर से

अवकाश फिल्ड स्टाफ को अवगत करा दिया  
 गया। उपस्थित राजस्व व वन विभाग कर्मियों  
 के हस्ताक्षर निम्न हैं।  
वन विभाग

Sumit Kumar शौकिक  
 सुमित कुमार  
 (सर्वेयर)  
 (जोगेंद्र कुमार)  
 (Forester)

राजस्व विभाग  
 अशोक  
 सहायक सचिव-बीबीपुर जलालाबाद

आज दिनांक 04/07/2025 को ग्राम बीबीपुर जलालाबाद  
में राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम  
ने खसरा संख्या -  $\left(\frac{128 \text{ ई.}}{0.3070}\right)$ ,  $\left(\frac{129 \text{ ई.}}{0.5940}\right)$  व  $\left(\frac{130 \text{ ई.}}{0.4400}\right)$

का सीमांकन व चिह्नंकन कर सर्वे किया गया।

उपरोक्त राजस्व व वन विभाग कर्मियों के  
हस्ताक्षर निम्न हैं।

वन विभाग

Sumit Kumar  
सुमित कुमार  
(सर्वेयर)

Rohit Kumar  
(Forester)  
307  
(जोसेफ कुमार)

राजस्व विभाग

04/07/2025  
बीबीपुर जलालाबाद

## उपस्थितिपत्र

दिनांक 23/10/2024 एवं 24/10/2024 को ग्राम कीवीपुर जलालाबाद परगना - ब्रिजाना, तहसील - कुंराना जिला - शामली में राजस्व एवं वनविभाग की संयुक्त टीम द्वारा वनविभाग के खसरा नम्बरान

$\frac{173}{1.5880}$ ,  $\frac{125}{0.2050}$ ,  $\frac{126}{0.7480}$ ,  $\frac{134}{0.2460}$ ,  $\frac{135क}{0.0100}$ ,  $\frac{140क}{0.0310}$ ,  $\frac{133}{0.8190}$ ,  $\frac{132}{0.5840}$ ,

$\frac{137}{0.0920}$ ,  $\frac{131}{0.3180}$ ,  $\frac{94}{2.5920}$ ,  $\frac{130}{0.4400}$ ,  $\frac{129}{0.5940}$ ,  $\frac{89}{2.3360}$ ,  $\frac{90}{0.8710}$ ,  $\frac{88}{2.2640}$ ,

$\frac{91}{1.1170}$ ,  $\frac{83}{2.7870}$ ,  $\frac{46क}{0.2050}$ ,  $\frac{47}{0.3480}$ ,  $\frac{48}{0.0150}$ ,  $\frac{49}{0.0150}$ , एवं  $\frac{51}{1.0760}$

की सीमाओं का सीमांकन कर सीमाओं से वन विभाग के फील्ड स्टाफ को भली भाँती अवगत करा दिया गया है। उपरोक्त खसरा नम्बरान में अतिक्रमित वन भूमि से भी फील्ड स्टाफ को अवगत करा दिया गया है। मौके पर उपस्थित संयुक्त टीम के हस्ताक्षर निम्नवत हैं।

वनविभाग टीम के हस्ताक्षर

राजस्व विभाग टीम हस्ताक्षर

*(विजय-कुमार सिंह)*  
24/10/24  
(विजय-कुमार सिंह)  
सर्वेयर  
(जोगेंद्र कुमार)  
व.र.  
(सत्यनदीप)  
व.र. मिश्रा

*(सत्यनदीप)*  
24/10/24  
(सत्यनदीप)  
संक्षेप प्रणाली  
व.र. 20

*(शजा खैवाल लैम्बपाल)*  
24/10/2024  
क्षेत्र - कीवीपुर जलालाबाद  
(शजा खैवाल लैम्बपाल)

गाटा/खसरा संख्या	खातेदार का नाम	यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)
1	वन विभाग	1105410001000054	8.144
4	वन विभाग	1105410004000054	2.766
5	वन विभाग	1105410005000054	0.512
6	वन विभाग	1105410006000054	0.932
8	वन विभाग	1105410008000054	3.145
10	वन विभाग	1105410010000054	0.205
11	वन विभाग	1105410011000054	0.84
13ख	वन विभाग	1105410013200554	1.281
14	वन विभाग	1105410014000054	17.486
15क	वन विभाग	1105410015200154	3.667
25ख	वन विभाग	1105410025200154	0.748
26	वन विभाग	1105410026000054	2.479
46क	वन विभाग	1105410046200254	0.205
47	वन विभाग	1105410047000054	0.348
48	वन विभाग	1105410048000054	0.015
49	वन विभाग	1105410049000054	0.015
50	वन विभाग	1105410050000054	0.102
51	वन विभाग	1105410051000054	1.076
52ख	वन विभाग	1105410052200254	1.977
63	वन विभाग	1105410063000054	0.676
72	वन विभाग	1105410072000054	0.041
73	वन विभाग	1105410073000054	0.697
74	वन विभाग	1105410074000054	4.302
75	वन विभाग	1105410075000054	5.04
76	वन विभाग	1105410076000054	0.184
77	वन विभाग	1105410077000054	0.307
78	वन विभाग	1105410078000054	0.102
79	वन विभाग	1105410079000054	3.975
80	वन विभाग	1105410080000054	4.866
81	वन विभाग	1105410081000054	2.592
82	वन विभाग	1105410082000054	2.236
83	वन विभाग	1105410083000054	2.787
88	वन विभाग	1105410088000054	2.264
89	वन विभाग	1105410089000054	2.336
90	वन विभाग	1105410090000054	0.871
91	वन विभाग	1105410091000054	1.117
94	वन विभाग	1105410094000054	2.592
125	वन विभाग	1105410125000054	0.205
126	वन विभाग	1105410126000054	0.748
127	वन विभाग	1105410127000054	0.707
128	वन विभाग	1105410128000054	0.307
129	वन विभाग	1105410129000054	0.594
130	वन विभाग	1105410130000054	0.44
131	वन विभाग	1105410131000054	0.318
132	वन विभाग	1105410132000054	0.584
133	वन विभाग	1105410133000054	0.819
134	वन विभाग	1105410134000054	0.246
135क	वन विभाग	1105410135200154	0.01
136	वन विभाग	1105410136000054	0.184
137	वन विभाग	1105410137000054	0.092
138	वन विभाग	1105410138000054	0.533

139	वन विभाग	1105410139000054	0.154
140क	वन विभाग	1105410140200154	0.031
142क	वन विभाग	1105410142200154	1.25
143	वन विभाग	1105410143000054	0.123
144	वन विभाग	1105410144000054	0.686
145	वन विभाग	1105410145000054	0.277
147	वन विभाग	1105410147000054	0.615
148	वन विभाग	1105410148000054	0.164
150	वन विभाग	1105410150000054	0.461
152	वन विभाग	1105410152000054	2.459
153	वन विभाग	1105410153000054	4.302
154	वन विभाग	1105410154000054	2.899
155	वन विभाग	1105410155000054	1.946
162ख	वन विभाग	1105410162200154	0.768
163	वन विभाग	1105410163000054	3.586
173	वन विभाग	1105410173000054	1.588
176	वन विभाग	1105410176000054	0.205
520	वन विभाग	1105410520000054	1.885
521	वन विभाग	1105410521000054	1.885

# उद्धरण खतौनी 2026 (अप्रमाणित प्रति)

27/January/2026 01:46:08 PM

## ANNEXURE-4

जनपद : शामली

तहसील : कैराना

ग्राम : बीबीपुर जलालाबाद

ग्राम कोड : 110541

फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)

खाता संख्या : 00251

श्रेणी : 5-3-ख/कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष, झाड़ियों के झुन्ड, झाड़ियों इत्यादि हों।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (शूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
135क	1) वन विभाग / --- / ---			135क (1105410135200154)	0.0100	1) 1/1	1) 0.0100	0.00
							0.0100	

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक शून्य शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रूपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक शून्य शून्य (हेक्टेयर)
---------------	---	---	--

1262

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑफ़कडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

# उद्धरण खतौन 1264 (अप्रमाणित प्रति)

27/January/2026 02:19:58 PM

## ANNEXURE-5

जनपद : शामली

तहसील : कैराना

ग्राम : बीबीपुर जलालाबाद

ग्राम कोड : 110541

फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)

खाता संख्या : 00251

श्रेणी : 5-3-ख/कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष, झाड़ियों के झुन्ड, झाड़ियों इत्यादि हों।								
खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण			खातेदार का अंश			
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व	
173	1) वन विभाग / --- / ---			173 (1105410173000054)	1.5880	1) 1/1	1) 1.5880	0.00
							1.5880	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति  
(भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय  
/भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु  
खसरा संख्या पर क्लिक करें।

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : एक दशमलव पांच आठ आठ शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : एक दशमलव पांच आठ आठ शून्य (हेक्टेयर)
---------------	--	---	---

1265

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑफ़कडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

# उद्धरण खतौनी (प्रमाणित प्रति)

27/January/2026 02:17:22 PM

जनपद : शामली

तहसील : कैराना

ग्राम : बीबीपुर जलालाबाद

ग्राम कोड : 110541

फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)

खाता संख्या : 00251

श्रेणी : 5-3-ख/कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष, झाड़ियों के झुन्ड, झाड़ियों इत्यादि हों।							
खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		खातेदार का अंश			
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
152	1) वन विभाग / --- / ---			152 (1105410152000054)	2.4590	1) 1/1	1) 2.4590 0.00
						2.4590	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति  
(भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय  
/भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु  
खसरा संख्या पर क्लिक करें।

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : दो दशमलव चार पांच नौ शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : दो दशमलव चार पांच नौ शून्य (हेक्टेयर)
---------------	---	---	--

1268

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑफ़कडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.